

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (1) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित नेत्र सहायक अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद स्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	कुमारी सरोजनी यादव	प्राथ.स्वा. केन्द्र कुसमी, जिला बेमेतरा।	प्राथ.स्वा. केन्द्र तिलकेजा जिला कोरबा।	स्वयं के व्यय
2	गीता पटेल	प्राथ.स्वा. केन्द्र बटार जिला बेमेतरा।	प्राथ.स्वा. केन्द्र लंमडांड जिला रायगढ़।	स्वयं के व्यय
3	सुनीता ताण्डी	प्राथ.स्वा. केन्द्र सिरपुर जिला महासमुंद।	सामु. स्वा. केन्द्र बोरी जिला दुर्ग।	स्वयं के व्यय
4	भोज राज जैन	प्राथ.स्वा. केन्द्र बेरला जिला मुंगेली।	प्राथ. स्वा. केन्द्र हाटकरा जिला कांकेर।	स्वयं के व्यय
5	मोह. रियाजुद्दीन शेख	प्राथ.स्वा. केन्द्र आनंदगांव, जिला बेमेतरा।	प्राथ.स्वा. केन्द्र गाडाडीह, जिला-दुर्ग।	स्वयं के व्यय
6	शारदा सोनवानी	प्राथ.स्वा. केन्द्र दाढ़ी, जिला बेमेतरा।	प्राथ स्वा. केन्द्र सरिया जिला रायगढ़।	स्वयं के व्यय
7	अनिल कुमार मिश्रा	प्राथ.स्वा. केन्द्र धरमपुर जिला सूरजपुर।	प्राथ स्वा. केन्द्र कुन्नी, जिला-सरगुजा।	स्वयं के व्यय
8	लव कुश पटेल	प्राथ.स्वा. केन्द्र देवरहट जिला मुंगेली।	प्राथ. स्था. केन्द्र मरका जिला बेमेतरा।	स्वयं के व्यय
9	दिलीप सिंह	प्राथ.स्वा. केन्द्र गट्टासिल्ली जिला धमतरी।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के अधीन रिक्त स्वास्थ्य संस्था में।	स्वयं के व्यय
10	लोकेश्वर सिंह नेताम	प्राथ. स्वा. केन्द्र बैजलपुर वि.ख. बोडला जिला कबीरधाम	प्राथ.स्वा. केन्द्र बलोदी, जिला बालोद	आपसी
11	अनामिका महरिया	प्राथ.स्वा. केन्द्र बलोदी, जिला बालोद	प्राथ. स्वा. केन्द्र बैजलपुर वि.ख. बोडला जिला कबीरधाम	

U. Jaiswal

12	आशीष कुमार देवांगन	प्राथ. स्वा. केन्द्र घोरपुर जिला मुंगेली	प्राथ.स्वा केन्द्र गढ़सिवनी जिला महासमुंद	प्रशासनिक
13	अंजुमा वर्मा	प्राथ.स्वा. केन्द्र देवकर साजा जिला बेमेतरा	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुसमी जिला राजनांदगांव	प्रशासनिक
14	रजनी प्रधान	सामु. स्वा. केन्द्र बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार	प्रा. स्वा. केन्द्र किरौड़ीमल नगर, जिला-रायगढ़	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (1)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।

04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित
..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टाक फाईल।

UJarka

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग